बिना चीरा लगी अफीम कृषि प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के जुताई (**Plough back**) के द्वारा नष्टीकरण बाबत् आवेदन

(जिन कृषकों के बिना चीरा लगे अफीम प्लाट की अफीम फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। । उनको अपनी क्षति ग्रस्त अफीम फसल की जुताई (Plough back) के द्वारा नष्टीकरण हेतु नियत तिथि की समाप्ति से पूर्व यह आवेदन–पत्र सम्बन्धित डिवीजन में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में दिया गया आवेदन स्वीकार्य नही होगा तथा ऐसे आवेदनों पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी।)

दिनांक .....

सेवा में,

श्रीमान् जिला अफीम अधिकारी

.....

.....

महोदय,

निवेदन है कि फसल वर्ष 2025–26 प्रार्थी के नाम जारी .....हेक्टेअर क्षेत्रफल के अफीम लाइसेंस के अन्तर्गत मेरे द्वारा .....हेक्टेअर में अफीम काश्त की गई है। उक्त अफीम काश्त एक/दो प्लाटों में की गई है। मेरें अफीम काश्त के प्लाट/प्लाटों के खसरा न. तथा क्षति ग्रस्त अफीम फसल का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	विवरण	प्लाट संख्या 1	प्लाट संख्या 2***(If any)***
1.	बन्दोबस्त क्षेत्रफल (हेक्टेअर)		
2.	प्लाट का खसरा नं.		
3.	प्लाट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर/हेक्टेअर में)		
4.	प्लाट में चीरा प्रारम्भ हुआ है अथवा नही ?		
5.	यदि चीरा प्रारम्भ हुआ है तो चीरा प्रारम्भ होने की तिथि		
6.	यदि चीरा प्रारम्भ नही हुआ है तो क्षतिग्रस्त अफीम फसल, जिसे जुताई जुताई (Plough back) के द्वारा नष्टीकरण करवाना है, की अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		

निवेदन है कि मेंरी अफीम प्लाट संख्या .....जिसमें अभी तक चीरा प्रारम्भ नही हुआ है, के लगभग .....हेक्टेअर क्षेत्रफल में बोई गई अफीम फसल का हिस्सा दिनांक .....को हुई ओलावृष्टि/असमय बारिश अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। अतः कृपया उक्त अफीम प्लाट के क्षतिग्रस्त

अफीम फसल के हिस्से को विभागीय निगरानी में नियमानुसार नष्ट करवाने की कृपा करें। आवेदक कृषक का नाम व विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	आवेदक कृषक का नाम	
2..	आवेदक कृषक के पिता /पति का नाम	
3.	आवेदक कृषक की यूनिक कोड संख्या	
4.	ग्राम का नाम	
5.	तहसील का नाम	
6.	जिला का नाम	
7.	डिवीजन का नाम	
8.	रेन्ज नम्बर	
9.	यदि आप के किसी अफीम प्लाट के बिना चीरा लगी अफीम फसल के क्षति ग्रस्त हिस्से के नष्टीकरण के पश्चात उक्त अफीम प्लाट के शेष फसल में चीरा लगाना हो तो स्पष्ट "**चीरा लगाने बावत्–तत्काल कार्यवाही हेतु"** अंकित करें। ऐसे आवेदनो पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।	
10.	यदि आपकी अफीम फसल देर से बुआई होने के कारण फसल छोटी होकर अभी तक उसमें अफीम डोडे नही बने हो तथ आप उस क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कराना चाहते हो तो स्पष्ट **"डोडा रहित अफीम फसल्–तत्काल कार्यवाही हेतु"** अंकित करे। ऐसे आवेदनो पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।	
11.	यदि आपकी अफीम फसल में अफीम डोडे बन चुके हो तथा आप उसे क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कराना चाहते हो तो स्पष्ट **"डोडा सहित अफीम फसल्–तत्काल कार्यवाही हेतु"** अंकित करें। ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही दिनांक 15.03.2025 के पश्चात किया जाएगा।	

मै यह वचन देता हूँ कि मेरी क्षति ग्रस्त अफीम फसल को विभागीय निगरानी में जुताई ((Plough back) के द्वारा नष्टीकरण के समय मै विभागीय अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करूगा तथा नष्टीकरण के पश्चात जो भी डोडा चूरा उत्पादित होगा, उससे अथवा उसके किसी अंश से किसी प्रकार की छेड–छाड या खुर्द–बुर्द नहीं करूगा।समस्त उत्पादित डोडा चूरा का मै विभागीय अधिकारियों के समक्ष उनके निर्देशानुसार बताए गए विधि से नष्ट कर दूँगा। अन्यथा मेरे विरूद्व विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी जानकारी एवं कथन सत्य है। मेरें द्वारा दी गई उपरोक्त जारकारियों में से कोई भी जानकारी अथवा मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त वचन असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्व विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अफीम लम्बरदार के हस्ताक्षर/अगूँठा निशानी

अफीम कृषक के हस्ताक्षर/अगूँठा निशानी